

1-अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा:-

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन पाताल” के तहत आज दिनांक 30.05.2022 को मैं उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना पाकबड़ा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त मौ0 शोएब अख्तर उर्फ मिक्की पुत्र शकील अहमद निवासी शनिवार का बाजार निकट जामा मस्जिद कस्बा व थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना पाकबड़ा पर 153/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

2-अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि उ0 प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “ओपरेशन पाताल” के तहत आज दिनांक 30.05.2022 को मैं उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना बिलारी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त टीटू उर्फ राकेश पुत्र खुशीराम निवासी खानपुर थाना बिलारी, मुरादाबाद को 01 अवैध देसी तमंचा 312 बोर व 02 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 216/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

3-अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना नागफनी:-

अवगत कराना है कि उ0 प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “ओपरेशन पाताल” के तहत आज दिनांक 30.05.2022 को मैं उ0नि0 श्री सोमपाल थाना नागफनी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त सोहराब उर्फ सिटी पुत्र सरफराज निवासी बेलदारान चौकी हसन का थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना नागफनी पर मु0अ0सं0 92/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

4- सट्टा खेलते हुए अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मुगलपुरा:-

अवगत कराना है उ0 प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “ओपरेशन पाताल” के तहत आज दिनांक 30.05.2022 को उ0नि0 श्री जगजीत द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित तस्लीम उर्फ टिम्मा पुत्र फिद्न निवासी फकीरो वाली बरबलान थाना मुगलपुरा मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 8020 रु0 नगद व 02 गत्ता डायरी, 02 नीले पैन्, 04 कार्बन बरामद किये गये। इस संबंध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुगलपुरा पर मु0अ0सं0 66/22 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया।

5-नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार थाना पाकबड़ा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2022 को वादिनी निवासी थाना पाकबड़ा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करने, मारपीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0 144/2022 धारा 376/323/504/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 30.05.2022 को उ0नि0 श्री रामप्रकाश सिंह थाना पाकबड़ा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त विवेक उर्फ ओमकार सिंह पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम मौढा तैय्या थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

6-छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारी:-

दिनांक 23.05.2022 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करने एवं दुष्कर्म का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 202/2022 धारा 354/376/511 भादवि, 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 30.05.2022 को उ0नि0 श्री इंग्लेश कुमार थाना बिलारी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त आरिफ पुत्र मुख्तयार निवासी ग्राम हरौरा थाना बिलारी, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

7-गौवंशीय पशु कटान करते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना कुन्दरकी:-

आज दिनांक 30.05.2022 को उ0नि0 श्री ब्रजेश कुमार जायसवाल थाना कुन्दरकी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से गौवंशीय पशु कटान करते हुये 02 अभियुक्त 1-तालिब पुत्र आलम निवासी ग्राम मो0 सादात पश्चिमी कस्बा व थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद 2-नाजिम पुत्र मेराज निवासी मो0 सोगारा थाना बिलासपुर, रामपुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 40 किलोग्राम गौवंशीय मांस, पशु काटने के उपकरण, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 01 मोबाईल व 1150/- रुपये नकद बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0 122/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

8-एक राय होकर घर में घुसकर मारपीट एवं जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना छजलैट:-

दिनांक 10.05.2022 को वादी नरेंद्र सिंह पुत्र रोहतास उर्फ मुंशी निवासी ग्राम बैरमपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर मारपीट करने एवं जान लेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना छजलैट पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 105/2022 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 506, 308 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 30.05.2022 को उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना छजलैट द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1-लोकेंद्र पुत्र स्व0 हरप्रसाद निवासी ग्राम बैरमपुर थाना छजलैट, मुरादाबाद 2-रामनिवास पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बैरमपुर थाना छजलैट, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

9-थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति की हत्या करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 15-15 हजार रुपये के 03 ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर आलाकत्ल व एक अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस किये बरामद।

दि0 28.05.2022 को वादी श्री राधेश्याम पुत्र राजा भोज निवासी ग्राम बीजना थाना भोजपुर, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई की हत्या कर शव को खाली खेत में फेक देने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-169/22 धारा-302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के निकट निर्देशन में थाना भोजपुर पर एक टीम गठित की गई। उक्त सम्बन्ध में घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए आज दिनांक 30.05.22 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. रिंकू पुत्र मनवा 2 चुस्की उर्फ बिन्दू पुत्र विक्रम 3. मनोज पुत्र रामकिशोर निवासीगण ग्राम बीजना थाना भोजपुर, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर अभियुक्त रिंकू उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त चुस्की उर्फ बिन्दू उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बैटा बरामद किया गया। उपरोक्त सभी अभियुक्तगण पर 15-15 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त चुस्की उर्फ बिन्दू ने बताया कि मेरा मृतक रमेश की पत्नि सीमा से करीब 01 वर्ष से अवैध सम्बन्ध था, जिसका विरोध मृतक रमेश व रमेश के परिवार वाले करते थे, जिसका विरोध रमेश कर रहा था, जिस कारण सीमा ने मुझे से कहा कि मुझे मेरा पति बहुत परेशान करता है तथा मुझे मारता पीटता है और हम पर शक करता है। अतः तुम उसको मार दो, उसके बाद हम दोनों मुरादाबाद जाकर रहने लगेगें। चुस्की उर्फ बिन्दू ने यह बात अपने साथी रिंकू व मनोज को बतायी। घटना वाले दिन दिनांक 24.05.2022 की रात्रि करीब 8.00 बजे रिंकू, रमेश को शराब पीने की बात कहकर उसके घर से चकबेगमपुर अड्डे पर लेकर आ गया। जहां रिंकू ने चुस्की उर्फ बिन्दू को फोन कर रमेश ते चकबेगमपुर अड्डे पर लाने की बात कही। चुस्की उर्फ बिन्दू व मनोज रिंकू के बताये पते पर आ गये तथा मनोज को अड्डे पर ही निगरानी के लिये खडा कर दिया। रमेश को रिंकू व चुस्की उर्फ बिन्दू ने साईं होटल से पहले सड़क के किनारे बैठाकर शराब पिलायी, जब रमेश को नशा हो गया तो उसको लेकर हाईवे से बांयी तरफ चकबेगमपुर बीजना ग्राम जंगल के रास्ते चकरोड होते हुए ओमप्रकाश के

खाली खेत मे ले गये, जहां पर चुस्की उर्फ बिन्टू ने पीछे से लकड़ी के बिन्टे से रमेश को दाहिनी तरफ सिर पर वार किया, जिससे रमेश नीचे गिर गया तथा रमेश की छाती पर कोहनी से चुस्की उर्फ बिन्टू ने मारना शुरू कर दिया व रिन्कू ने गला दबाकर रमेश को मार दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1-रिंकू पुत्र श्री मनवा नि0 ग्राम बीजना थाना भोजपुर, मुरादाबाद
- 2-चुस्की उर्फ बिन्टू पुत्र श्री विक्रम नि0 ग्राम बीजना थाना भोजपुर, मुरादाबाद
- 3-मनोज पुत्र श्री रामकिशोर निवासी ग्राम बीजना थाना भोजपुर, मुरादाबाद

बरामदगी:-

- 1-एक लकड़ी का बैटा (आलाकल्ल)
- 2-एक अवैध तमन्चा 315 मय 01 कारतूस 315 बोर ।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त रिंकू उपरोक्त:-

- मु0अ0सं0 169/22 धारा 302/201/34 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0 174/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0 38/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0 48/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0 46/15 धारा 379 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

अभियुक्त चुस्की उर्फ बिन्टू उपरोक्त:-

- मु0अ0सं0 169/22 धारा 302/201/34 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

अभियुक्त मनोज उपरोक्त:-

- मु0अ0सं0 169/22 धारा 302/201/34 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष भोजपुर श्री सुनील कुमार थाना भोजपुर, मुरादाबाद ।
- 2-उ0नि0 श्री रियाज हैदर जैदी थाना भोजपुर, मुरादाबाद।
- 3-का0 राहुल कुमार, कां0 सतेन्द्र साहू, कां0 रोबिन कुमार थाना भोजपुर, मुरादाबाद

10-थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा अवैध भट्टी पर अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बेचने वाले 02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 65 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 01 भट्टी, शराब बनाने के उपकरण व लगभग 2.50 किलोग्राम यूरिया बरामद एवं 11 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स, मुरादाबाद के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा दिनांक 29/30.05.2022 की रात्रि में मोहल्ला फकीरपुरा आदर्श कालोनी से अभियुक्तगण 1-अनुराग पुत्र शिवराज निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद 2-शीतल पुत्र किशन सिंह निवाली आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद को 01 भट्टी पर अवैध शराब अपमिश्रित बनाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 10 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 01 भट्टी मय अपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण, लगभग 2.50 KG यूरिया बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर अभि0गण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 408/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है तथा अभि0गण 1-प्रदीप सैनी पुत्र जगदीश निवासी सूर्यनगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद 2-साजन पुत्र डालचन्द निवासी विवादित कुआ चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद 3-किशोर पुत्र निरंजन सिंह प्रजापति निवासी भोला सिंह की मिलक थाना मझोला जनपद मुरादाबाद 4-लाखन सिंह पुत्र भूकन सिंह निवासी झांझनपुर थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद 5-रहीश पुत्र शपरूद्दीन नि0 जामा मस्जिद हमसफर शादी हाल के पास थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद 6-तेज सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी बंगला गांव चौकी थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद 7-सिकन्दर पुत्र नवाबजान नि0 बारादरी थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद 8-अनिल पुत्र राजपाल नि0 पवार इन्टर कालेज काजीपुरा थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद 9-सन्दीप पुत्र नारायण नि0 चक्कर की मिलक सैनी धर्मशाला के पास थाना

सि०ला० जनपद मुरादाबाद 10-भीमसेन पुत्र गोकुलराम नि० बंगला गाँव थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद 11-विक्की पुत्र अशोक कुमार नि० सीएल गुप्ता अस्पताल के पास थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब व मादक पदार्थों के अवैध धन्धों को रोकने के सम्बन्ध में अलग से टीम गठित कर लगातार कार्यवाही की जायेगी, साथ ही अभि०गणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट जैसी निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त बरामद अपमिश्रित शराब से सम्बन्धित-

- 1-अनुराग पुत्र शिवराज नि० आदर्श कालोनी थाना सिविल लाईन मुरादाबाद उम्र -38 वर्ष
- 2-शीतल पुत्र किशन सिंह निवाली आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद उम्र 42 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामद

- 1-प्रदीप सैनी पुत्र जगदीश निवासी सूर्यनगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद
- 2-साजन पुत्र डालचन्द निवासी विवादित कुआ चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद
- 3-किशोर पुत्र निरंजन सिंह प्रजापति निवासी भोला सिंह की मिलक थाना मझोला जनपद मुरादाबाद
- 4-लाखन सिंह पुत्र भूकन सिंह निवासी झांझनपुर थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद
- 5-रहीश पुत्र शपरूद्दीन निवासी जामा मस्जिद हमसफर शादी हाल के पास थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद
- 6-तेज सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी बंगला गाँव चौकी थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद
- 7-सिकन्दर पुत्र नवाबजान निवासी बारादरी थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद
- 8-अनिल पुत्र राजपाल निवासी पवार इन्टर कालेज काजीपुरा थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद
- 9-सन्दीप पुत्र नारायण निवासी चक्कर की मिलक सैनी धर्मशाला के पास थाना सि०ला० जनपद मुरादाबाद
- 10-भीमसेन पुत्र गोकुलराम निवासी बंगला गाँव थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद
- 11-विक्की पुत्र अशोक कुमार नि० सीएल गुप्ता अस्पताल के पास थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद

आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त अनुराग

- 1-मु०अ०सं० 551/2020 धारा 60 आबकारी अधि०
- 2-मु०अ०सं० 552/2020 धारा 188/269 भादवि
- 3-मु०अ०सं० 408/2022 धारा 60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि

आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त शीतल

- 1-मु०अ०सं० 981/2021 धारा 60 आबकारी अधि०
- 2-मु०अ०सं० 1054/2020 धारा 60 आबकारी अधि०
- 3-मु०अ०सं० 408/2022 धारा 60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि

बरामदगी-

10 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 55 लीटर कच्ची शराब, शराब बिक्री के 3720 रूपये, 100 लीटर लहन, एक पालीथिन में लगभग 2.50 kg यूरिया, अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने वाली 01 भट्टी, 01 कनस्तर प्लास्टिक के पाईप व 01 पतीली

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 2-निरीक्षक अपराध श्री रामपाल सिंह थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 3-उ०नि० श्री सुधाकर मिश्रा थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 4-उ०नि० श्री मतीन अहमद थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 5-उ०नि० श्री सुशील कुमार थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 6-उ०नि० श्री सौरभ त्यागी थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 7-म०उ०नि० श्रीमती दीपिका मलिक थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 8-हे०का० रेखा मिश्रा थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 9-कां० राहुल राठी थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।
- 10-कां० हरेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।